❍ Year : 2 ❍ Issue : 7 ❍ March 2018 ❍ ISSN : 2456-0898

GLOBAL THOUGHT

ग्लोबल थॉट

(MULTI DISCIPLINE MULTI LANGUAGE RESEARCH JOURNAL)

(An International Refereed Quarterly Research Journal)

(A Scholarly Peer Reviewed Journal)

Special Note :

Anti national thoughts are not acceptable.

Patron :

Prof. M.M. Agrawal

(Former Dean, Arts Faculty & H.O.D. Sanskrit, University of Delhi, Delhi)

Prof. D.S. Chauhan

(Former H.O.D. Sanskrit, Magadh University, Bodhgaya, Bihar)

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक रूपेश कुमार चौहान द्वारा 47, ए-3 ब्लॉक, गली नं. 5, धर्मपुरा एक्सटेंशन, (नजदीक संकट मोचन मंदिर), पी.एस. नजफगढ़, दिल्ली से प्रकाशित एवं डॉल्फिन प्रिंटोग्राफिक्स, 4 ई/7, पाबला बिल्डिंग, झंडेवालान् एक्सटेंशन, नई दिल्ली में मुद्रित।

सम्पादक-रूपेश कुमार चौहान

Ph. 09555222747, 9267944100, 9555666907

अनुक्रमणिका

Editorial ---------- 8

भारत में नौकरशाही का विकास 9
कुमार प्रशांत

रघुवीर सहाय की कविता में अभिव्यक्त राजनीतिक चेतना 12
डॉ. प्रमोद कुमार द्विवेदी

मैथिलीशरण गुप्त के काव्य में नारी-चेतना 16
डॉ. सुनीता खुराना

The Impact of Music on the positivity and well being of mankind ----------19
Dr. Neeta Mathur

युद्ध की विभीषिका और अपरिहार्यता के मध्य कवि दिनकर 21
डॉ. अनिल राय

पुष्टिमार्गीय पद-गान में रस एवं भावाभिव्यक्ति 26
डॉ. नीता माथुर

Al-Shahrastani's Perception of Hindu Religious Systems ----------28
Dr. Manisha S. Agnihotri

अलंकार शास्त्र का ऐतिहासिक विकास 33
डॉ. शंकर नाथ तिवारी

भारतीय पारम्परिक कलाएँ और वर्तमान स्त्री-स्वावलम्बन 40
डॉ. अनिल राय

Redefining the identity of Untouchables through the vision of Dr. B.R. Ambedkar ----45
Ruchika Singh

नेताजी : एक स्वाधीन आत्मा 48
डॉ. मीना शर्मा

वाल्मीकि रामायण में छलित योग 51
डॉ. अनीता शर्मा

Impact of Globalisation on Women in India ----------56
Dr. Vandana Tripathi / Mrs. Geetanjali Kumar

नाज़ी जर्मनी और महिला प्रश्न : इतिहास पलटने का प्रयास 61
डॉ. मृदुला झा

दलित साहित्य का धार्मिक-दर्शन 65
डॉ. अश्वनी कुमार

Rural Road Connectivity in India: A bold policy initiative towards improving the quality of life ----------70
Dr. Pooja Paswan

Honour Killings : A Study in the Culture of Inhumanity ----------80
Dr. Pratibha

हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में नागरी प्रचारिणी पत्रिका का योगदान (आरंभिक पाँच वर्षों के संदर्भ में) 86
डॉ. प्रमोद कुमार द्विवेदी

नरेश मेहता की काव्यदृष्टि और दूसरा सप्तक ... 90
डॉ. चित्रा सिंह

Sustainable Development of India: Challenges and the way forward ----------98
Kumar Prashant

प्रेमचंद के साहित्य में औद्योगिकीकरण 102
डॉ. कविता राजन

Tribal Identity And Movements In Santhal Pargana Region ---------- 109
Kumari Khusboo

त्यागपत्र और उसके अज्ञेय कृत अनुवाद का तुलनात्मक अध्ययन 113
डॉ. विकेश कुमार मीना

भारत में नौकरशाही का विकास

कुमार प्रशांत

शासन तंत्र कोई भी हो नौकरशाही के अभाव में तंत्र का कुशल संचालन नहीं हो सकता। खासकर जब विश्व के अधिकांश देशों में प्रजातांत्रिक शासन पद्धति कार्य कर रही है और अन्य देशों में भी प्रजातंत्र कायम करने के लिए जन आंदोलन हो रहे हों तब नौकरशाही की आवश्यकता स्पष्ट रूप से अनुभव की जा सकती है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि तंत्र और शासन में अटूट संबंध है। विशेष रूप से प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में इसका विशेष महत्व है। प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत करने में इसकी खास भूमिका होती है। इस प्रकार वर्तमान वैश्विक परिदृश्य एक सुसंगठित निष्पक्ष एवं नागरिकोन्मुखी नौकरशाही की मांग करता है।

परिचय

ऐसा माना जाता है कि नौकरशाही का विकास 18वीं और 19वीं शताब्दी में सबसे पहले पश्चिमी यूरोपीय देशों में हुआ और फिर इसका विकास विश्व के अन्य देशों में हुआ। बीसवीं शताब्दी में यह अपनी पराकाष्ठा पर थी। विश्व के कई देशों में मार्क्सवादी सिद्धांतों पर आधारित शासन व्यवस्था ने इसे समाप्त करने की कोशिश की, फिर भी अपनी विशेषताओं के कारण यह बनी रही।

लास्की का कहना है कि नौकरशाही का उदय कई तत्वों के योगदान का परिणाम है। प्रथम यह कुलीन तंत्र की उपज के रूप में विकसित हुई। इसके अपने इतिहास में कुलीन तंत्र में सक्रिय सरकार की रुचि का भाव देखा गया। इससे कई परिस्थितियों में सत्ता अस्थाई अधिकारियों के हाथों में चली गई। दूसरा नौकरशाही का उदय सम्राट की इच्छा से भी माना जाता है जो कि व्यक्तिगत रूप से अपने अधीन कर्मचारियों को रखना चाहता था जिनका प्रयोग कुलीन वर्ग में शक्ति के लिए बढ़ती हुई लालसा के विपरीत किया जा सके। तृतीय लोकतंत्र के उदय ने इसके विकास में दो तरीके से सहयोग दिया। प्रथम 19वीं शताब्दी में पश्चिमी संसार में लोकतांत्रिक सरकार का उदय हो जाने से ऐसी व्यवस्था को बनाए रखने का संयोग समाप्त हो गया जिससे अधिकारी पैतृक तथा स्थाई जाति बन सके। दूसरा लोकतंत्र के साथ-साथ जो अन्य परिस्थितियां उत्पन्न हुईं उनके कारण यह अनिवार्य हो गया कि विशिष्ट सेवा का कार्य करने के लिए विशेषज्ञों का समूह होना चाहिए। आधुनिक राज्य का विशाल आकार और इसके द्वारा उपलब्ध हो जाने वाली सेवा का विस्तार इस बात को अनिवार्य बना देता है कि विशेषज्ञों का प्रशासन अवश्यंभावी है।

कैमनका तथा कीरजियर ने बड़े विस्तार से उन तत्वों पर विचार किया है जिसने राज्य के अस्थाई अधिकारियों के वर्ग जिनको आधुनिक राज्यों में नौकरशाही कहा जाता है, के उदय में योगदान दिया है। नौकरशाही के उदय के महत्वपूर्ण कारक हैं- फ्रांस और एशिया से शुरू होकर यूरोप के कई राज्यों में शक्तिशाली केंद्रित राज्यों की स्थापना होना, औद्योगिक क्रांति, राज्य के कार्यों में विस्तार, फ्रांस की क्रांति में इस धारणा का विकास कि सरकारी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से शासक के नौकर न होकर राष्ट्र के नौकर हैं। यह धारणा भी संप्रभु राष्ट्र में निहित होती है, शासक के व्यक्तिगत रूप में नहीं। सरकारी कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन का भुगतान करने की व्यवस्था का लागू हो जाना और यह तर्क दिया जाना कि सरकारी कर्मचारी राज्य के प्रति उत्तरदायी होते हैं न कि व्यक्तिगत रूप से शासक के प्रति।

भारतीय प्रशासन का उद्‌भव एवं विकास

विश्व के विकासशील देशों में भारतीय प्रशासन एवं शासन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहां तक कि इसका स्थान पश्चिम के कुछ विकसित देशों से भी बेहतर है, बावजूद इसके कि यहां पारंपरिक समाज एवं विकासशील अर्थव्यवस्था है। यह सोच है कि अंग्रेजों ने हमारी प्राचीनतम प्रशासनिक व्यवस्था को सुनियोजित ढंग से बर्बाद किया, फिर भी राजकाज चलाने के लिए उन्होंने प्रशासनिक ढांचा दिया है। आज उसी ढांचे पर हमारा आधुनिक प्रशासन खड़ा है।

वैदिक और उत्तर वैदिक काल

भारतीय प्रशासनिक इतिहास की जड़ें वैदिक काल से शुरू होकर मुगल काल तक जाती हैं। वैदिक साहित्य, बौद्ध संहिता, जैन साहित्य, पुराण, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, शुक्र नीति, महाभारत एवं रामायण जैसे ग्रंथों एवं कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में किसी संगठन के प्रशासन एवं कार्यों का विस्तृत वर्णन हमें मिलता है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की सभ्यता में भी संकेत मिलते हैं कि उसमें संगठित सरकार थी। सिंधु घाटी सभ्यता में भी हम पाते हैं कि प्रशासन की व्यवस्था रही होगी। महाभारत और रामायण जैसी कृतियों में शासन तंत्र के रूप में राजतंत्र था जहां लोक प्रशासन पर्याप्त रूप से विकसित था। प्रशासन का प्रमुख राजा होता था जो प्रशासन के मामलों में मंत्रियों के साथ कौंसिलरों से सहायता लेता था। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र भी लोक प्रशासन का एक अनूठा संग्रह है। चाणक्य के द्वारा प्रतिपादित सप्तांग सिद्धांत प्रशासन के दृष्टिकोण से आज के समय भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।

मध्यकालीन भारत में प्रशासन

यह काल दो भागों में बँटा है- प्रथम दिल्ली सल्तनत एवं दूसरा मुगल काल। सल्तनत शासन एक सैन्य शासन जैसा था जिसका सर्वोच्च सुल्तान होता था। उसके हाथ में राजनीतिक, कानूनी एवं सैनिक शक्ति निहित थी। न्यायिक प्रशासन के लिए भी वह उत्तरदाई था। मुगल शासन में प्रशासनिक व्यवस्था भी राजतंत्र पर आधारित थी। अकबर और जहांगीर जैसे प्रशासकों ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया।

ब्रिटिश काल में प्रशासन

सैकड़ों वर्षों के ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में अत्याचार एवं प्रशासन ने ब्रिटिश संसद का ध्यान आकर्षित किया। फलस्वरूप संसद ने चार्टर एक्ट 1813, 1833 एवं 1853 पास कर पूरा शासन लंदन से चलाना शुरू किया। इस कानून के तहत भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई। ब्रिटिश काल में मुख्यतः निम्न कार्य किए गए जैसे भारतीय राजनीति का नियंत्रण लंदन से, सिविल सेवाओं का केंद्रीयकरण एवं लोक सेवाओं का प्रशिक्षण तथा सचिवालय का गठन और विकास के लिए ढांचा तैयार करना आदि। जबकि ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य भारतीयों का शोषण करना था, फिर भी जाने अनजाने में प्रशासन में काफी सुधार किया और उसका स्वभाव, कार्यप्रणाली ब्रिटिश प्रशासन जैसा कर दिया। लेकिन उसकी कोशिश एक ऐसा प्रशासन बनाने की थी जो कर वसूली में सक्षम हो, कानून व्यवस्था बनाए रखे, साथ ही भारत को उपनिवेश बनाया रखा जा सके।

भारत सरकार अधिनियम 1935 ने लोक प्रशासन को पुनः घोषित किया। राज्यों को सत्ता मिलने के कारण भारतीय को प्रशासन में सीधा-सीधा शामिल होने का अवसर मिलने लगा। भारत में अखिल भारतीय सेवाओं की संरचना, भूमिका, स्वभाव तथा आपसी संबंधों को विकसित होने में एक लंबा समय लगा। निकोले समिति की रिपोर्ट 1854 नौकरशाही के विकास में प्रमुख कदम रहा है। योग्यता आधारित सिविल सेवा की अनुशंसा कर समिति ने ईस्ट इंडिया कंपनी की वर्षों पुरानी आश्रय नीति को फिर से जीवित करने की कोशिश की। फुलटन समिति सामान्य प्रशासन को हरफनमौला की संज्ञा देते हुए उसके बारे में आगे कहती है कि वह ऐसा गिफ्टेड लेमन है कि उसे किसी भी काम में लगा दीजिए बिना यह सोचे कि वह कौन सा काम है क्योंकि इसका ज्ञान और सरकार में काम करने का अनुभव ऐसा है।

निष्कर्ष

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सिविल सेवकों की भूमिका एवं स्वभाव के आलोचक रहे हैं, खासकर ब्रिटिश साम्राज्य को बनाए रखने को लेकर, परंतु उन्होंने बंटवारे के बाद उपजी स्थिति, सुरक्षा एवं स्थायित्व, हैदराबाद में विपक्ष से निपटने में, पंजाब के

बंटवारे में तथा जम्मू कश्मीर के मामले में इसका समर्थन ही किया था। सिविल सेवकों के प्रति सरदार वल्लभभाई पटेल का विचार बखूबी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 में परिलक्षित है। किसी भी सिविल सेवक को अस्थाई या स्थाई तौर पर हटाया नहीं जाएगा या उनकी पदोन्नति तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उनके खिलाफ जांच समिति की रिपोर्ट न आ जाए। ऐसी अवस्था में लगाए गए अभियोगों के बारे में उन्हें सुनने का पर्याप्त मौका भी दिया जाए।

सैद्धांतिक रूप से स्वतंत्र भारत के लोक प्रशासन में शासन का वेबिरियन मॉडल अपनाया गया है। लेकिन देश की आजादी के बाद लोक प्रशासन के उद्देश्य एवं स्वभाव तथा व्यवहार में काफी परिवर्तन आया है। आर्थिक सामाजिक परिवर्तन लाने में लोक प्रशासन की भूमिका का विस्तार होता चला गया है। लोक प्रशासन सिर्फ कानून व्यवस्था बनाने, करों की वसूली करने तक सीमित नहीं रह कर लोक कल्याणकारी नीतियों को लागू करने में अहम् भूमिका निभा रहा है। आज सरकारों के कामकाज का मूल्यांकन करने का मुख्य पैमाना सुशासन है। लोक प्रशासन का उद्देश्य सुशासन है या यूं कहें लोक प्रशासन और सुशासन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के द्वारा सरकार द्वारा सुशासन लाने में लोक सेवकों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। अपनी तमाम कमियों के बावजूद भी लोक सेवकों ने भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी सेवाएं भारत में राष्ट्रीय एकता की भावना और केंद्र राज्य के संबंधों में मजबूती प्रदान करती है। लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते भारत में लोक प्रशासन सामाजिक न्याय और सामाजिक बराबरी का रास्ता प्रशस्त करता है। हमारे संविधान में दिए गए जनहित एवं लोकहित के कार्यों को संपादित करता है। सुशासन एक पारदर्शी एवं ईमानदार सरकार की नीतियों को लागू करने में अहम भूमिका निभा रहा है।

एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान
श्यामलाल कॉलेज (सांध्य),
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
ईमेल : kprashantdu@gmail.com

सन्दर्भ सूची

1. Maheshwari, Shriram, Indian administration, Orient longman, 1979
2. Jain, R.B., contemporary issues in Indian administration, Delhi, India: Vishal publications, 1976
3. Appleby, Paul Henson, Public administration in India : report of a survey, Government of India, cabinet secretariat, organisation and methods division, 1957
4. Maheshwari, Shriram, public administration in India the higher civil service, Oxford University press, USA, 2005
5. Sarkar, Siuli, public administration in India, PHI learning private limited, 2009
6. Panandiker, VA Pai, development administration in India, Macmillan, 1974
7. Bandopadhyay, Sekhara, from Plassey to partition: a history of modern India, Orient blackswan 2004
8. Basu, Rumki, public administration concepts and theories, sterling publishers private limited, 2004